न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज0

पीठासीन अधिकारी :– राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 04/22 दायरा दिनांक 07.01.2022

1. राजाराम पुत्र रंगीलाल उम्र 52 वर्ष जाति माली निवासी पुरेनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. बल्लोबाई पुत्री रंगीलाल उम्र 68 वर्ष जाति माली निवासी पुरेनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3. श्रीबाई पुत्री रंगीलाल उम्र 62 वर्ष जाति माली निवासी पुरेनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
4. मरो पुत्री रंगीलाल उम्र 60 वर्ष जाति माली निवासी पुरेनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
5. मुन्नी पुत्री रंगीलाल उम्र 55 वर्ष जाति माली निवासी पुरेनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– वादीगण

बनाम

1. केसरी पुत्र प्रभू जाति माली निवासी पुरैनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. रामू पुत्र प्रभू जाति माली निवासी पुरैनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. पुनिया वेवा प्रभू जाति माली निवासी बमनगवां तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान –मृतक
4. लालाराम पुत्र बावू जाति माली निवासी पुरैनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
5. कैलाष पुत्र मदना जाति माली निवासी पुरैनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान –मृतक

5/1–रामवीर पुत्र कैलाश जाति माली निवासी सतनबाडा तहसील व जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश

5/2–श्याम पुत्र कैलाश जाति माली निवासी सतनबाडा तहसील व जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश

5/3–लक्ष्मीबाई पत्नि कैलाश जाति माली निवासी सतनबाडा तहसील व जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश

6. साहबसिंह पुत्र मदना जाति माली निवासी सतनबाडा तहसील व जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
7. रामसेवक पुत्र शंकर जाति माली निवासी पुरैनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
8. कन्हैलाल पुत्र शंकर जाति माली निवासी पुरैनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:57:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

9. कुसुम पुत्री शंकर पत्नि गंगाराम जाति माली निवासी पुरैनी हाल निवासी केलवाडा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
10. चिरोंजी पुत्री शंकर पत्नि चेंतू जाति माली निवासी पुरैनी हाल निवासी केलवाडा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
11. रामवती पुत्री शंकर पत्नि पप्पू जाति माली निवासी पुरैनी हाल निवासी टांडाकाछीयान तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
12. गुड्डी पुत्री शंकर पत्नि पप्पू जाति माली निवासी पुरैनी हाल निवासी घाट की दस्तौली तहसील बमोरी जिला गुना म.प्र.
13. दक्खो पत्नि शंकर जाति माली निवासी पुरेनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
14. मोतीलाल पुत्र कमला जाति माली निवासी पुरैनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
15. रामचरण पुत्र हंसा जाति माली निवासी सिरसी तहसील बमोरी जिला गुना मध्यप्रदेश
16. रमेश पुत्र हंसा जाति माली निवासी सिरसी तहसील बमोरी जिला गुना मध्यप्रदेश
17. लच्छो पुत्री कमला पत्नि ईश्वरलाल जाति माली निवासी पुरैनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान —मृतक
18. मलखान पुत्र ईश्वरलाल जाति माली निवासी पुरेनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान —अविवाहित लाऔलाद मृत
19. माया पत्नि साहबसिंह जाति माली निवासी सतनबाडा तहसील शिवपुरी मध्यप्रदेश
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

— **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92ए राज. काश्त. अधि. 1955

<u>निर्णय—दिनांक 14.12.2022</u>

उपस्थित— वादीगण की ओर से — श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से — एकपक्षीय

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के दादाजी (पिता के पिता) कमला पुत्र सीता कोम काछी (माली) साकिन पुरैनी तहसील शाहाबाद के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 134 रकबा 1.11 बीघा, खसरा संख्या 136 रकबा 2.02 बीघा, खसरा संख्या 169 रकबा 8.14 बीघा व खसरा संख्या 172 रकबा 9.12 बीघा किता 4 कुल रकबा 21.19 बीघा ग्राम व्यासखेडी पटवार हल्का संदोकडा त[illegible] में स्थित है जिसे दावे में आगे विवादित आराजी कहा गया है। खातेदार क[illegible] सीता माली का वंशवृक्ष सजरा दावे के साथ प्रथक से [illegible] माना जाकर साथ पढा जावे। मुताबिक स[illegible] सीता के 6 पुत्र कमशः प्रभू मदना शंकर रंगीलाल मोतीलाल तथा बापू [illegible] पुत्रियां कमशः दोलो फूलां लूमा लच्छो व राजो तथा 2 पत्नियां गौरा व घसीटी रहे हैं, जो मृतक कमला के वारिसान हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:57:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

जिनमें से पुत्र–प्रभू मदना शंकर रंगीलाल बाबू पुत्रीयां–दोलो व फूलां (लाऔलाद) तथा लूमा लच्छो व दोनो पत्नियां गौरा व घसीटी की मृत्यु हो चुकी है। लाऔलाद फोत पुत्रीयां दोलो व फूलां तथा दोनो पत्नियां गौरा व घसीटी का नाम नामान्तरण नंबर 69 के जरिये खाते से हटाये जा चुके हैं। मृतक प्रभू के प्रतिवादी कम 1 2 व 3, मृतक मदना के प्रतिवादी कम 5 व 6, मृतक शंकर के प्रतिवादी कम 7 लगायत 13, मृतक रंगीलाल के वादीगण, मृतक बाबू के प्रतिवादी कम 4, मृतक लूमा के प्रतिवादी कम 15 व 16 तथा प्रतिवादी कम 17 मृतक लच्छो के प्रतिवादी कम 18 वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी हैं। प्रतिवादी कम 5 की भी मृत्यु हो जाने से उनके स्थान पर प्रतिवादी कम 5/1 लगायत 5/3 को वारिस होने से पक्षकार बनाया जाकर उनके विरूद्व वाद पेश है। प्रतिवादी कम 17 लच्छो फौत हो चुकी है, जिसका एकमात्र वारिस पुत्र प्रतिवादी कम 18 मलखान भी अविवाहित लाऔलाद फौत हो चुका है। इस कारण वादीगण तथा प्रतिवादी कम 1 लगायत 16 ही कम 17 लच्छो के वैध वारिस उत्तराधिकारी हैं। खातेदार कमला की मृत्यु के बाद उक्त विवादित आराजी फौती नामान्तरकरण नम्बर 25 के जरिये वादीगण के पिता रंगीलाल को छोडकर शेष सभी वारिसान के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज कर दी गई है, जबकि ततसमय वादीगण का पिता रंगीलाल खातेदार कमला का पुत्र होकर वैधानिक वारिस मौजूद था, जिनका नाम भी उक्त विवादित आराजी में शेष वारिसान के साथ हिस्सा बराबर से दर्ज किया जाना चाहिये था। तदुपरान्त नामान्तरकरण संख्या 69 के जरिये मृतक पुत्री दोलो फूलां तथा मृतक पत्नियां गौरा व घसीटी के नाम खाते से खारिज हो जाने पर उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी कम 1 ता 3 के पिता प्रभू, 4 के पिता बाबू, 5 व 6 के पिता मदना, 7 ता 13 के पिता शंकर, कम 14 मोतीलाल, कम 15 व 16 की माता लूमा, कम 17 लच्छो व पुत्री राजो के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज कर दी। इसी गलत इन्द्राज के आधार पर खातेदार कमला की पुत्री राजो ने विवादित आराजी हिस्सा 1/8 का विकय प्रतिवादी कम 5/3 लक्ष्मीबाई व प्रतिवादी कम 19 माया को कर दिया है, इस विकय के आधार पर विवादित आराजी में से हिस्सा 1/8 नामान्तरकरण संख्या 253 के जरिये प्रतिवादी कम 5/3 व 19 के नाम दर्ज कर दी गई है। इस प्रकार वादीगण खातेदार कमला के पुत्र रंगीलाल के पुत्र पुत्री हैं, जो वैधानिक वारिसान हैं। खातेदार कमला की अन्य खातेशुदा भूमि ग्राम पुरैनी किता 16 रकवा 30.02 बीघा व ग्राम टाण्डाकाछीयान किता 7 रकवा 10.18 बीघा में भी वादीगण का नाम विरासतन दर्ज है, जिसके सहित वादीगण विवादित आराजी को प्रतिवादीगण के साथ [illegible] से काश्त कर रहे हैं। वादीगण का उक्त विवादित आराजी [illegible] हिस्सा [illegible]। कमला की पुत्री राजो का भी ततसमय विवादित आराजी में [illegible]सार 1/9 हक व हिस्सा ही निहित था, इसके बावजूद [illegible] में से अपने निहित हिस्सा 1/9 से अधिक हिस्सा 1/8 का विकय प्रतिवादी कम 5/3 व 19 के हक में कर दिया है। उक्त विकय वादीगण के पैत्रक हक व अधिकारों के मुकाबले बेअसर तथा

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:57:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रभावशून्य है। वर्तमान में प्रतिवादी कम 17 लच्छो की भी मृत्यु हो गई है और लच्छो का एकमात्र पुत्र प्रतिवादी कम 18 मलखान भी अविवाहित लाऔलाद फौत हो चुका है, जिसके वादीगण तथा प्रतिवादीगण 1 ता 16 ही वैध वारिस उत्तराधिकारी हकदार है, इस कारण वादीगण का अब विवादित आराजी में हिस्सा 1/8 निहित हो गया है अतः वादीगण उक्त विवादित आराजी में अपने निहित हुये हिस्सा 1/8 बावत खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी हैं, आदि।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी कम 4,5/2,6,7,8,11,12,14,15 की ओर से जबावदावा पेश कर कथन किया कि दावे की मद कमांक 1 स्वीकार है। वादीगण के दादाजी कमला पुत्र सीता कोम काछी निवासी पुरेनी तहसील शाहाबाद के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 134 रकबा 1.11 बीघा, खसरा संख्या 136 रकबा 2.02 बीघा, खसरा संख्या 169 रकबा 8.14 बीघा व खसरा संख्या 172 रकबा 9.12 बीघा किता 4 कुल रकबा 21.19 बीघा ग्राम व्यासखेडी पटवार हल्का संदोकडा तहसील शाहाबाद में स्थित है, खातेदार कमला पुत्र सीता माली का वंशवृक्ष सजरा स्वीकार है। दावे की मद संख्या 3 स्वीकार है। मुताबिक सजरा खातेदार कमला पुत्र सीता के 6 पुत्र कमशः प्रभू मदना शंकर रंगीलाल मोतीलाल तथा बाबू, 5 पुत्रियां कमशः दोलो फूलां लूमा लच्छो व राजो तथा 2 पत्नियां कमशः गौरा व घसीटी रहे हैं, जो मृतक कमला के वारिसान हैं। जिनमें से पुत्र–प्रभू मदना शंकर रंगीलाल बाबू, पुत्रीयां–दोलो व फूलां (लाऔलाद) तथा लूमा लच्छो व दोनो पत्नियां गौरा व घसीटी की मृत्यु होना स्वीकार है। लाऔलाद फोत पुत्रीयां दोलो व फूलां तथा दोनो पत्नियां गौरा व घसीटी का नाम नामान्तरण नंबर 69 के जरिये खाते से हटाया जाना स्वीकार हैं। मृतक प्रभू के प्रतिवादी कम–1 2 व 3, मृतक मदना के प्रतिवादी कम 5 व 6, मृतक शंकर के प्रतिवादी कम 7 ता 13, मृतक रंगीलाल के वादीगण, मृतक बावू के प्रतिवादी कम 4, मृतक लूमा के प्रतिवादी कम 15 व 16 तथा प्रतिवादी कम 17 मृतक लच्छो के प्रतिवादी कम 18 वैधानिक वारिसान उत्तराधिकारी होना स्वीकार हैं। प्रतिवादी कम–5 की भी मृत्यु होना स्वीकार है तथा उनके स्थान पर प्रतिवादी कम 5/1 लगायत 5/3 का वारिस होना स्वीकार है। प्रतिवादी कम 17 लच्छो का फौत होना स्वीकार है, जिसका एकमात्र वारिस पुत्र प्रतिवादी कम 18 मलखान भी अविवाहित लाऔलाद फौत हो चुका है, इस कारण वादीगण त[illegible]6 ही कम 17 लच्छो के वैध वारिस उत्तराधिकारी होना स्वीक[illegible] की मद संख्या 6 स्वीकार है। खातेदार कमला की [illegible] बाद विवा[illegible]राजी फौती नामान्तरण नम्बर 25 के जरिये वादीगण के [illegible] वारिसान के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज कर दी गई है, जब[illegible] उस समय वादीगण के पिता रंगीलाल खातेदार कमला के पुत्र होकर वैधानिक वारिस मौजूद थे, जिनका नाम भी उक्त विवादित आराजी में शेष सभी वारिसान के साथ हिस्सा बराबर से दर्ज किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:57:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

जाना चाहिये था। तदुपरान्त नामान्तरण नंबर 69 के जरिये मृतक पुत्री दोलो फूलां तथा मृतक पत्नियां गौरा व घसीटी के नाम खाते से खारिज हो जाने पर उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के पिता प्रभू, 4 के पिता बावू, 5 व 6 के पिता मदना, 7 ता 13 के पिता शंकर, क्रम 14 मोतीलाल, क्रम 15 व 16 की माता लूमा, क्रम 17 लच्छो व पुत्री राजो के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज होना स्वीकार है तथा इसी गलत इन्द्राज के आधार पर खातेदार कमला की पुत्री राजो ने विवादित आराजी हिस्सा 1/8 का विक्रय प्रतिवादी क्रम 5/3 लक्ष्मीबाई व प्रतिवादी क्रम 19 माया को कर दिया है, इस विक्रय के आधार पर विवादित आराजी में से हिस्सा 1/8 नामान्तरण नंबर 253 के जरिये प्रतिवादी क्रम 5/3 व 19 के नाम दर्ज कर दी गई है। दावे की मद संख्या 7 स्वीकार है। वादीगण खातेदार कमला के पुत्र रंगीलाल के पुत्र पुत्री हैं, जो वैधानिक वारिसान हैं, इस कारण वादीगण का उक्त विवादित आराजी में पैत्रक हिस्सा 1/9 निहित होना स्वीकार है। कमला की पुत्री राजो का भी ततसमय विवादित आराजी में नियमानुसार 1/9 हक व हिस्सा ही निहित था, इसके बावजूद राजो ने विवादित आराजी में से अपने निहित हिस्सा 1/9 के स्थान पर हिस्सा 1/8 का विक्रय प्रतिवादी क्रम 5/3 व 19 के हक में कर दिया है। उक्त विक्रय वादीगण के पैत्रक हक व अधिकारों के मुकाबले बेअसर तथा प्रभावशून्य है। परन्तु वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 17 लच्छो की भी मृत्यु हो गई है और लच्छो का एकमात्र पुत्र प्रतिवादी क्रम 18 मलखान भी अविवाहित लाऔलाद फौत हो चुका है, जिसके वादीगण तथा प्रतिवादीगण 1 ता 16 ही वैध वारिस उत्तराधिकारी हकदार होना स्वीकार है और वादीगण का अब विवादित आराजी में हिस्सा 1/8 निहित होना स्वीकार है। दावे की मद संख्या 8, 9 को स्वीकार करते हुये वादीगण को विवादित आराजी हिस्सा 1/8 का खातेदार घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गई –

1. आया आराजी खसरा संख्या 134 की 1.11 बीघा, 136 की 2.02 बीघा, 169 की 8.14 बीघा व 172 की 9.12 बीघा ग्राम व्यासखेडी तहसील शाहाबाद में स्थित है, जो वादीगण के दादाजी कमला पुत्र सीता के खाते की रही है ?

   – बजिम्मे वादीगण

2. आया खातेदार कमला के मृत पुत्र रंगीलाल के पुत्र–पुत्री होने से वादीगण उक्त आराजी में हिस्सा 1/8 के खातेदारी हक की घोषणा कराने के हकदार हैं ?

   –बजिम्मे वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:57:16 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य के [illegible] पी.डबलू. 1 वादी राजाराम के बयान दर्ज कराये तथा [illegible] खेडी तहसील शाहावाद सम्बत 2074–77 खाता संख्या 20 प्रदर्श [illegible] नकल नामान्तरण संख्या 25 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी ग्राम [illegible] शाहावाद सम्बत 2033–36 खाता संख्या 06 प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी ग्राम व्यास[illegible]डी तहसील शाहावाद सम्बत 2054–57 खाता संख्या 31 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी ग्राम टांडा काछियान सम्बत 2074–77

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

खाता संख्या 34 प्रदर्श 5, नकल जमाबन्दी ग्राम पुरैनी सम्बत 2073–76 खाता संख्या 26 प्रदर्श 6 तथा नोटिस 80 सीपीसी की प्रति मय रसीद प्रदर्श 7 पेश किये। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। तनकीबार विस्तृत विश्लेषण निम्न प्रकार है –

तनकी संख्या–1 आया आराजी खसरा संख्या 134 की 1.11 बीघा, 136 की 2.02 बीघा, 169 की 8.14 बीघा व 172 की 9.12 बीघा ग्राम व्यासखेडी तहसील शाहाबाद में स्थित है, जो वादीगण के दादाजी कमला पुत्र सीता के खाते की रही है ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण का है। वादीगण ने वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 134 की 1.11 बीघा, 136 की 2.02 बीघा, 169 की 8.14 बीघा व 172 की 9.12 बीघा को ग्राम व्यासखेडी तहसील शाहाबाद में स्थित होना बतलाया है तथा वादग्रस्त आराजी को अपने दादाजी कमला पुत्र सीता के खाते की होना कथन किया है। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 से साबित है कि विवादित आराजी ग्राम व्यासखेडी तहसील शाहावाद में स्थित है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम व्यासखेडी सम्बत 2033–36 से साबित है कि विवादित आराजी कमला पुत्र सीता के खाते की रही है, जो नामान्तरण संख्या 25 से कमला के फोत होने पर कमला के वारिसान के नाम दर्ज हुई है। खातेदार कमला को वादीगण ने अपना दादाजी (ग्रांडफादर) बतलाया है, इस सम्बन्ध में वादीगण के द्वारा पेश नकल जमाबन्दी ग्राम टांडा काछियान सम्बत 2074–77 खाता संख्या 34 प्रदर्श 5 तथा नकल जमाबन्दी ग्राम पुरैनी सम्बत 2073–76 खाता संख्या 26 प्रदर्श 6 का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि इन दोनो ही खातों में वादीगण का नाम कमला के पुत्र रंगीलाल के वारिसान की हेसियत से दर्ज है, जिससे साबित है कि वादीगण के पिता रंगीलाल खातेदार कमला का पुत्र है। इस प्रकार इस तनकी को साबित करने में वादीगण सफल रहे है, अतः यह तनकी वादीगण के हक में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या–2 आया खातेदार कमला के मृत पुत्र रंगीलाल के पुत्र–पुत्री होने से वादीगण उक्त आराजी में हिस्सा 1/8 के खातेदारी हक की घोषणा कराने के हकदार हैं ?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण का है। वादीगण ने स्वयं को विवादित आराजी के खातेदार कमला पुत्र सीता कौम काछी साकिन पुरैनी के पुत्र रंगीलाल के वैधानिक वारिसान होने से विवादित आराजी में अपना 1/8 हिस्सा निहित होना बतलाकर खातेदारी हक की घोषणा चाही है। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम टांडा काछियान सम्बत 2074–77 खाता संख्या 34 प्रदर्श 5 तथा नकल जमाबन्दी ग्राम पुरैनी सम्बत 2073–76 खाता संख्या 26 प्रदर्श 6 से वादीगण का रंगीलाल पुत्र कमला के वारिसान होना साबित होता है और इस आधार पर वादीगण विवादित आ[illegible]र्ज अन्य वारिसान के साथ बराबर से हिस्सा प्राप्त करने के [illegible] पाये जाते हैं। वादपत्र के साथ प्रस्तुत सजरे के आ[illegible] मदना शंकर रंगीलाल मोतीलाल बावू पुत्र [illegible]पत्नियां तथा गौरा व घसीटी पत्नि होना बतलाया [illegible] राजस्व रिकार्ड से होती है। कमला के इन वारिसान में से पुत्रीयां दोलो फूला तथा पत्नियां गौरा व घसीटी का नाम मृत होने के आधार पर खाते से हटाया जाकर इनका हिस्सा शेष दर्ज वारिसान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:57:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

हिस्सा बराबर से मर्ज किया गया है, जिसका विवरण प्रस्तुत नकल जमाबन्दी प्रदर्श 4 में अंकित है। तदुपरान्त कमला के वारिसान में पुत्र प्रभू मदना शंकर रंगीलाल मोतीलाल बावू तथा पुत्रियां लूमा लच्छो राजो हिस्सा बराबर से शेष रहे, जिनमें से पुत्री लच्छो तथा लच्छो के वारिस पुत्र मलखान की अविवाहित लाऔलाद मृत्यु हो जाने से विवादित आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/8 निहित होना पाया जाता है और कमला की पुत्री राजो के द्वारा प्रतिवादी कम 5/3 व 20 के हक में विवादित आराजी के हिस्सा 1/8 का किया गया विक्रय भी प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार इस तनकी को साबित करने में वादीगण सफल रहे है, अतः यह तनकी वादीगण के हक में निर्णीत की जाती है।

आदेश

उक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी खसरा संख्या 134 रकबा 1.11 बीघा, खसरा संख्या 136 रकबा 2.02 बीघा, खसरा संख्या 169 रकबा 8.14 बीघा व खसरा संख्या 172 रकबा 9.12 बीघा किता 4 कुल रकबा 21.19 बीघा ग्राम व्यासखेडी पटवार हल्का संदोकडा तहसील शाहाबाद के हिस्सा 1/8 का खातेदार घोषित किया जाता है। और आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खाते में से मृत लच्छो का नाम हटाया जाकर शेष दर्ज खातेदारान के साथ वादीगण का नाम हिस्सा बराबर से अर्थात 1/8 दर्ज किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:57:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner